



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या - 8187 सन् 2026

राजीव तिवारी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादीगण

आवेदक के अधिवक्ता

: मुन्ना तिवारी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान आवेदन इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 22.06.2023 के आरोप पत्र तथा दिनांक 17.08.2023 के संज्ञान/समन आदेश सहित वाद संख्या 40670

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सन् 2023 (राज्य बनाम राजीव तिवारी), जो कि अपराध संख्या 112 सन् 2023, धारा 420, 406, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना- चिलुआताल, जनपद गोरखपुर से उत्पन्न है, की सम्पूर्ण कार्यवाही, जो माननीय अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी)-2, गोरखपुर के न्यायालय में लंबित है, को निरस्त किया जाए।

3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आरोप पत्र सहित संज्ञान/समन आदेश तथा वर्तमान वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, जो कि 2024 10 SCC 690 में प्रतिवेदित है, के प्रकरण में स्थापित विधि के सिद्धांत के अनुसार धारा 420 तथा 406 भारतीय दंड संहिता एक साथ नहीं चल सकती हैं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है:-

"38. हमारे विचार में, शिकायत के साधारण पठन से उपर्युक्त वर्णित आवश्यक अवयवों में से कोई भी प्रकट नहीं होता है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि पुलिस तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मन में विधि के संबंध में विद्यमान गंभीर भ्रांति को दूर करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाए कि यदि शिकायतकर्ता का यह कथन है कि अभियुक्त द्वारा धारा 405 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित आपराधिक न्यासभंग का अपराध, जो धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, किया गया है, तो उसी सांस में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित एवं व्याख्यायित धोखाधड़ी का अपराध, जो धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, भी किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

41. साधारण संविदा-भंग तथा आपराधिक न्यासभंग और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर अत्यंत सूक्ष्म है। धोखाधड़ी के मामले में, प्रेरित किए जाने के समय अभियुक्त की मंशा का परीक्षण किया जाना चाहिए, जिसका आकलन बाद के आचरण से किया जा सकता है, किन्तु इसके लिए केवल बाद का आचरण ही एकमात्र कसौटी नहीं है। केवल संविदा-भंग मात्र से धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन उत्पन्न नहीं होता, जब तक कि लेन-देन के प्रारंभ से ही, अर्थात् जिस समय अपराध किए जाने का कथन है, कपटपूर्ण या बेईमानी की मंशा प्रदर्शित न हो। अतः, यही मंशा इस अपराध का मूल तत्व है।

43. आपराधिक न्यासभंग तथा धोखाधड़ी के बीच स्पष्ट भेद है। धोखाधड़ी के लिए, असत्य या भ्रामक प्रतिरूपण किए जाने के समय, अर्थात् प्रारंभ से ही, आपराधिक मंशा का होना आवश्यक है। जबकि आपराधिक न्यासभंग में, मात्र न्यास (सौंपे जाने) का प्रमाण पर्याप्त होता है। इस प्रकार, आपराधिक न्यासभंग के मामले में अपराधी को संपत्ति विधिवत् सौंपी जाती है और वह उसे बेईमानी से दुरुपयोग कर लेता है। जबकि धोखाधड़ी के मामले में, अपराधी किसी व्यक्ति को धोखा देकर कपटपूर्वक या बेईमानी से उसे कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते।

55. अब समय आ गया है कि देशभर के पुलिस अधिकारियों को विधि का समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे धोखाधड़ी तथा आपराधिक न्यासभंग के अपराधों के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र एवं पृथक हैं। एक ही तथ्यात्मक परिस्थिति में दोनों अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। वे परस्पर विरोधी हैं। भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) के ये



दोनों प्रावधान ऐसे जुड़वाँ नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से की गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है, किन्तु आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस स्थापित विधिक सिद्धांत पर भरोसा किया गया है, उसका खंडन करने में असमर्थ रहे हैं।

5. चूँकि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क विधिक प्रश्न पर आधारित हैं, अतः प्रतिवादी संख्या-2 को नोटिस निर्गत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, वाद के अभिलेख का अवलोकन करने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के वाद में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि धारा 420 तथा 406 भारतीय दंड संहिता एक साथ नहीं चल सकती हैं और इस प्रकार दिनांक 17.08.2023 का संज्ञान/समन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के वाद में निर्णय दिनांक 23.08.2024 को पारित किया गया है और वर्तमान प्रकरण में अपराध का संज्ञान दिनांक 17.08.2023 को लिया गया है, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कनिष्क सिन्हा एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य [2025 SCC ऑनलाइन SC 443] के वाद में यह प्रतिपादित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सामान्यतः पूर्वप्रभावी (रिट्रोस्पेक्टिव) होता है, जब तक कि निर्णय में स्वयं यह स्पष्ट रूप से न कहा गया हो कि वह भविष्यलक्षी (प्रॉस्पेक्टिव) रूप से प्रभावी होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपर्युक्त के दृष्टिगत, वाद संख्या 40670 सन् 2023 (राज्य बनाम राजीव तिवारी), जो कि अपराध संख्या 112 सन् 2023, धारा 420, 406, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना-चिलुआताल, जनपद गोरखपुर से उत्पन्न है, में माननीय अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी)-2, गोरखपुर की अदालत में लंबित है, दिनांक 17.08.2023 का संज्ञान/समन आदेश निरस्त किया जाता है। वाद को संबंधित न्यायालय के समक्ष पुनः प्रेषित किया जाता है, ताकि आवश्यक होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के वाद में स्थापित विधिक सिद्धांत के आलोक में अपराध का संज्ञान लेने के संबंध में नवीन आदेश पारित किया जा सके।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से अनुमन्य किया जाता है।

दिनांक : 25 मार्च, 2026

विवेक कुमार

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)